न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास भंवर लाल मेहरा आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 174/2019/(2019/00174) जिला–नागौर

1. अर्जुनराम पुत्र गोपाल
2. हरनाथ राम पुत्र गोपाल
3. भंवरलाल पुत्र गुमानाराम
4. लालाराम पुत्र गुमानाराम

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम ढाढोता, तहसील परबतसर, जिला नागौर (राज0)।

———अपीलार्थीगण

बनाम

1. रामकरण पुत्र प्रभुराम
   जाति जाट, निवासी ढाढोता, तहसील परबतसर, जिला नागौर (राज0)।
2. सरपंच ग्राम पंचायत ढाढोता/सरपंच ग्राम पंचायत कालेटड़ा ।
3. ग्राम सेवक/पदेन सचिव, ग्राम पंचायत ढाढोता/कालेटड़ा ।
4. तहसीलदार परबतसर।

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश तहसीलदार परबतसर दिनांक 21–02–2019
अन्तर्गत प्रकरण संख्या 03/2018 बउनवानी रामकरण बनाम
अर्जुनराम वगैरह

————

उपस्थित– 1. श्री रूपक शर्मा अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री सहदेव चौधरी अभिभाषक प्रत्यर्थी सं0 1

निर्णय

दिनांकः– 08–08–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा प्रत्यर्थी सं0 2 लगायत 4 के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर के समक्ष नामान्तरकरण

सं0 49 दिनांक 15.07.1971 ग्राम पंचायत ढाढोता द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पो. सं0 1 की खातेदारी आराजी मौजा ढाढोता पटवार हल्का ढाढोता में व मौजा भूतास पटवार हल्का कालेटड़ा में कृषि भूमि खसरा नं0 47 रकबा 4.2100 हैक्टेयर, खसरा सं0 65, 66, 67 रकबा क्रमशः 1.4600, 0.8700, 3.7200 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 6.0500 हैक्टेयर में प्रत्यर्थी सं0 1 का बतौर खातेदार 1/8 हिस्सा अंकित होना चाहिये किन्तु राजस्व कर्मियों ने मिलीभगत कर उसके पिता प्रभूराम का नाम नामान्तरकरण सं0 49 में जानबूझकर छोड़ दिया जबकि ग्राम ढाढोता के खसरा नं0 455, 456, 457, 453, 454, 118, 432 के नामान्तरकरण सं0 240 में बडे पिता गणेश पुत्र जीवण का विरासत का नामान्तरकरण सरपंच ग्राम पंचायत ढाढोता द्वारा पारित किया गया किन्तु प्रभुराम का नाम छोड़ दिया गया केवल मात्र अकेले गोपाल के नाम नामान्तरकरण भरा गया है। गणेश कुवारा ही फौत हो गया, कर्ताखानदान होने से मौजा भूतास के खसरा नं0 29, 42 में गणेश पुत्र जीवण के नाम 1/4 हिस्सा बतौर खातेदार अंकित था। गणेश की मृत्यु पर विरासत का नामान्तरकरण खोलते वक्त ढाढोता की भूमि में गोपाल, प्रभु पिता जीवण को खातेदार अंकित करते हुये नामान्तरकरण सं0 240 ग्राम पंचायत ढाढोता द्वारा पारित किया दिया गया लेकिन भूतास के खसरा नं0 29, 42 में गणेश पुत्र जीवण का विरासत का नामान्तरकरण भरते वक्त अकेले गोपाल का नाम अंकित किया गया। अपीलार्थी उक्त अपील में आवश्यक पक्षकार होते हुये भी बिना पक्षकार संयोजित किये ही अपील उपखण्ड अधिकारी परबतसर के समक्ष प्रस्तुत की गई। उपखण्ड अधिकारी परबतसर ने अपने निर्णय दिनांक 08.05.2018 से रेस्पों0 सं0 1 की अपील स्वीकार कर मौजा भूतास के खसरा नं0 29, 42 कुल रकबा 63.08 बीघा के संबंध में पारित नामान्तरकरण सं0 49 दिनांक 15.07.1971 को निरस्त करते हुये तहसीलदार परबतसर को रिमाण्ड कर दिया तथा गणेश पुत्र जीवण के स्थान पर वैद्यानिक वारिस गोपाल एवं प्रभुराम के वारिसानों के नाम नामान्तरकरण की कार्यवाही के आदेश पारित कर दिये। तहसीलदार परबतसर द्वारा भी उपखण्ड अधिकारी परबतसर के निर्णय दिनांक 08.05.2018 की पालना में रिमाण्ड पत्रावली पर बिना अपीलार्थीगण को तलब किये एकपक्षीय रूप से राजस्व रेकार्ड में अंकन हेतु पटवारी कालेटडा को तहरीर जारी करने के आदेश दिनांक 21.02.2019 प्रदान किये गये। अधीनस्थ न्यायालय/तहसीलदार परबतसर के उक्त आदेश दिनांक 21.02.2019 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी परबतसर के निर्णय

दिनांक 08.05.2018 से नामान्तरकरण सं0 49 दिनांक 15.07.1971 को निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड कर तहसीलदार परबतसर को सुनवाई हेतु प्रेषित किया गया। तहसीलदार परबतसर ने बिना अपीलार्थीगण को तलब किये एकपक्षीय रूप से आदेश दिनांक 21.02.2019 पारित कर दिया। अपीलार्थीगण को दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.07.2019 की जानकारी तहसील कार्यालय में पटवारी हल्का से किसी अन्य कार्य बाबत जाने पर हुई कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर द्वारा नामान्तरकरण सं0 49 दिनांक 15.07.1971 को निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड कर तहसीलदार परबतसर को भेजने पर पटवारी को प्रभूराम व गोपाल के वारिसानों के हक में पुनः नामान्तरकरण खोलने हेतु तहरीर जारी की गई है। इस पर सारी कार्यवाही की जानकारी प्राप्त कर दिनांक 16.07.2019 को प्रमाणित प्रति प्राप्त कर अपने अभिभाषक की राय अनुसार अपील तैयार कर अविलम्ब जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद प्रस्तुत कर दी है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्तागण द्वारा अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील काफी विलम्ब से बिना किसी ठोस व सक्षम आधार के प्रस्तुत की गई है, इस कारण से उपरोक्त अपील उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम के स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील को वर्तमान स्तर पर ही सव्यय खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर व प्रत्यर्थी अधिवक्ता /राजकीय अधिवक्ता की इस पर जवाबी बहस पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अपीलार्थीगण के दादा जीवण थे जिनके तीन पुत्र हुये जिसमे गणेश कुंवारा फोत तथा प्रभु व अपीलार्थीगण के पिता व दादा गोपाल है। गणेश अपने जीवनकाल में अपने भाई गोपाल के पास भूतास में ही रहते थे तथा भाई गोपाल व उसके बच्चों द्वारा गणेश की उसकी मृत्यु से पूर्व देखभाल की जाती रही । गणेश ने अपने जीवनकाल में ही एक लिखित अपने भाई गोपाल के नाम यह

लिखी कि ग्राम भूतास में खसरा नं0 29, 42 में गणेश के हिस्से की आराजीयात वह अपनी रजामन्दी से अपने भाई गोंपाल का देता है। उक्त लिखित आधार पर ही नामान्तरकरण सं0 49 दिनांक 15.07.1971 खोला गया था। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलार्थीगणों को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपना निर्णय पारित किया। अगर अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाता तो वे अपने जबाब में उक्त तथ्यों को स्पष्ट करते। अपीलार्थीगणों को सुनवाई का अवसर व बिना पक्षकार संयोजित कर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया।

उन्होंने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यो से विपरित होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है। उपखण्ड न्यायालय परबतसर के समक्ष प्रस्तुत अपील भारी मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। बिना मियाद बिन्दु को तय कर उपखण्ड अधिकारी परबतसर ने विधिक त्रुटि की है। नामान्तरण संख्या 49 दिनांक 15.07.1991 को ग्राम पंचायत ढाढोता द्वारा पारित किया गया था। वर्ष 1971 से वर्ष 2018 के मध्य की अवधि को नजर अन्दाज कर जो आदेश पारित किया गया है वह प्रथम दृष्टया मियाद बाहर होने से निरस्त योग्य है। विधि सिद्धान्तो के विपरीत होने से दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को आवश्यक पक्षकार होने को नजर अन्दाज कर बिना सुनवाई किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अपीलार्थीगण गोपाल के विधिक वारिसान है जिससे आवश्यक पक्षकार होने से नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों की अनुपालना में सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार परबतसर का निर्णय दिनांक 21.02.2019 प्रकरण सं0 3/2018 बउनवान रामकरण बनाम अर्जुनराम निरस्त किया जावे व उपखण्ड अधिकारी, परबतसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2018 को निरस्त कर ग्राम पंचायत ढाढोता का नामान्तरकरण संख्या 49 दिनांक 15.07.1971 को बहाल रखे जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थीगण संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिये कि विवादित आराजियात का नामान्तरकरण कब्जे के आधार पर नहीं अपितु विधिक उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज किया जाना चाहिये था। गणेशराम के नाऔलाद व कुंवारा फौत हो जाने से ग्राम भूतास की भूमि केवल मात्र अपीलार्थीगण के नाम अंकित किये जाने का नामान्तरकरण प्रथमतया ही गलत है। ग्राम पंचायत को विधिक वारिसान की जांच कर सजरे अनुसार ही निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। अपीलार्थीगण के द्वारा ऐसा कोई प्रमाणित/अप्रमाणित दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह प्रकट होता हो कि गणेशराम के नाऔलाद व कुंवारा फौत हो जाने से ग्राम भूतास की भूमि के केवल मात्र उत्तराधिकारी है। ग्राम ढाढोता की भूमि खसरा नं0 118, 432 कुल 52.03 बीघा में गणेश पुत्र जीवण के फौत होने पर जरिये

नामान्तरकरण 240 से गणेश के स्थान पर गोपाल, प्रभु पिता जीवण के नाम खातेदारी दर्ज की गई है। इसी अनुरूप ही ग्राम भूतास में ही नामान्तरकरण खोला जाना था किन्तु केवल मात्र गोपाल के नाम नामान्तरकरण कार्यवाही कर प्रभुराम का नाम छोड़ने की विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस भूल को सुधारकर न्यायोचित व विधिक निर्णय पारित किया है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाबुल जवाब में अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि नामान्तरकरण संख्या 49 दिनांक 15–7–1971 का खारिज किया गया जिसमें अपीलार्थीगण को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में पैरवी सही नहीं हुई है।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विवादित आराजित के मूल खातेदार अपीलार्थीगण के दादा जीवण थे जिनके तीन पुत्र गणेशराम, प्रभुराम व गोपाल थे जिसमें से गणेशराम लाऔलाद कंवारा ही फौत होने के कारण उसके हिस्से की भूमि को प्रभुराम व गोपाल के नाम विरासतन नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना चाहिए था किन्तु सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा अपीलार्थीगण के पिता गोपाल के नाम ही स्वीकृत किया जबकि विरासतन नामान्तरकरण मे मूल खातेदार जीवण के जायन्दा विधिक वारिसानों का नाम स्वीकृत किया जाना चाहिए था। सरपंच ग्राम पंचायत को जीवण के विधिक वारिसानों की जांच कर सजरे अनुसार ही निर्णय पारित किया जाना चाहिये। ग्राम ढाढोता की भूमि में विधिक उत्तराधिकारियों के नाम नियमानुसार नामान्तरकरण खुला है किन्तु ग्राम भूतास में केवल मात्र गोपाल के नाम नामान्तरकरण कार्यवाही कर प्रभुराम का नाम छोड़ने की विधिक भूल ग्राम पंचायत ढाढोता ने नामान्तरकरण संख्या 49 दिनांक 15–07–1971 में की है जबकि गोपाल के साथ प्रभुराम का भी बराबर का हिस्सा होना चाहिए।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 39 के तहत कोई खातेदार आसामी अपनी भूमि क्षेत्र में अपने हित या हितान्ष को उस व्यक्तिगत कानून के तहत जिसके वह अधीन है, अंतिम इच्छा पत्र के द्वारा वसीयत में दे सकता है। उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 के अनुसार यदि कोई हिन्दु व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का निस्तारण अपनी इच्छा अनुसार करने का हकदार हो तो वह अपनी सम्पत्ति का इच्छा पत्र या अन्य वसीयत व्ययान कर सकता है। किन्तु ऐसा कोई दस्तावेज भी अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है कि जिससे यह प्रतीत होता हो कि गणेश ने कुवारा व नाऔलाद फौत होने से पूर्व वसीयत निष्पादित की हो। तहसीलदार, परबतसर द्वारा अपीलार्थीगण को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आदेश पारित किया है जो त्रूटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार, परबतसर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21–02–2019 त्रूटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार, परबतसर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे दोनों पक्षकारों को विधिवत सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विवादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार जीवण के विधिक वारिसानों की जांच कर विधिक प्रक्रिया अपनाकर नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 08–08–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर